प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

वर्ष 2013-14 को आच्छादित करने वाले, इस प्रतिवेदन में, मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, वन, लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभागों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। यद्यपि, सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2013-14 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

इस प्रतिवेदन में, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का विहंगावलोकन एवं तीन अध्याय सम्मिलित हैं। पहले अध्याय में राज्य का बजट प्रोफाइल, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, लेखापरीक्षा को विभागों के प्रत्युत्तर एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन सम्मिलित हैं। दूसरे अध्याय में टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन, मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव एवं पशुपालन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। तीसरे अध्याय में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है।